प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकल पीठः माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा)

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3444/2010

चंद्रिका प्रसाद सिन्हा

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

एवं

निम्नलिखित संबद्ध **रिट याचिका(सेवा)** क्रमांकः-

3866/2010, 3875/2010, 3881/2010, 3884/2010, 4210/2010, 4211/2010, 4238/2010, 4242/2010, 4266/2010, 4366/2010, 4368/2010, 4393/2010, 4421/2010, 4433/2010, 4435/2010, 4437/2010, 4497/2010, 3989/2010, 3991/2010, 4550/2010, 4571/2010, 4582/2010, 4003/2010, 4057/2010, 4060/2010, 4061/2010, 4079/2010, 4091/2010, 4107/2010, 4114/2010, 4121/2010, 4153/2010, 4154/2010, 4155/2010, 4216/2010, 4419/2010, 4579/2010, 4674/2010, 4697/2010, 4718/2010, 4792/2010, 4803/2010, 4804/2010, 4805/2010, 4812/2010, 4813/2010, 4866/2010, 4926/2010, 4992/2010, 5038/2010, 5041/2010, 5042/2010, 5062/2010, 5106/2010, 5138/2010, 5180/2010, 5225/2010 & 5310/2010.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>आदेश</u>

आदेश हेतु नियत दिनांकः 05/10/2010

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकल पीठः माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा)

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3444/2010

याचिकाकर्ता चंद्रिका प्रसाद सिन्हा, पिता स्वर्गीय श्री गणेश राम सिन्हा, आयु लगभग 56 वर्ष, राजस्व निरीक्षक, राजस्व वृत्त तिल्दा, तहसील तिल्दा,, जिला रायपुर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1 छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, राजस्व विभाग,डी.के.एस. भवन, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) ।

2 सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)।

3 आयुक्त, भू-अभिलेख रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) ।

4 कलेक्टर, भू-अभिलेख रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) ।

5 कलेक्टर, भू-अभिलेख कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) ।

6 तहसीलदार, तहसील टिल्दा, जिला रायपुर (छ.ग.) ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका

<u>उपस्थितिः</u>

याचिकाकर्ता की ओर सेः श्री वी.के. पाण्डेय, अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादीगण की ओर सेः श्री यशवंत सिंह ठाकुर, उप-महाधिवक्ता और श्री यू. एन. एस. देव , शासकीय अधिवक्ता ।

<u>आदेश</u>

(05.10.2010)

न्यायाधीश, सुनील कुमार सिन्हा

(1) इस आदेश द्वारा, वर्तमान याचिका और रिट याचिकाओं की निम्नलिखित समूहों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है क्योंकि इन सभी में एक ही बिंदु को चुनौती दी गई है -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिकाएँ (सेवा)</u>

3866/2010, 3875/2010, 3881/2010, 3884/2010, 4210/2010, 4211/2010, 4238/2010, 4242/2010, 4266/2010, 4366/2010, 4368/2010, 4392/2010, 4421/2010, 4433/2010, 4435/2010, 4437/2010, 4497/2010, 3988/2010, 3991/2010, 4559/2010, 4571/2010, 4582/2010, 4003/2010, 4057/2010, 4060/2010, 4061/2010, 4079/2010, 4091/2010, 4107/2010, 4114/2010, 4121/2010, 4153/2010, 4154/2010, 4155/2010, 4216/2010, 4419/2010, 4579/2010, 4674/2010, 4697/2010, 4718/2010, 4792/2010, 4803/2010, 4804/2010, 4805/2010, 4812/2010, 4813/2010, 4866/2010, 4929/2010, 4992/2010, 5030/2010, 5041/2010, 5042/2010, 5062/2010, 5106/2010, 5138/2010, 5180/2010, 5225/2010 & 5310/2010.

(2) तथ्य, संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नानुसार बताए गए हैं: -

स्वीकृत रूप से याचिकाकर्ताओं को जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उप-धारा (4) के तहत जनगणना 2011 के कार्य को संचालित करने हेतु जनगणना अधिकारी/प्रगणक/पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।प्रभारी अधिकारी/प्रगणक/पर्यवेक्षक आदि के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान, याचिकाकर्ताओं को उनके विभागों/प्राधिकरणों द्वारा उनके वर्तमान पदस्थापन के स्थानों जहाँ वे मूल पद धारण कर रहे हैं, से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने स्थानांतरण आदेशों की वैधता को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है। तथापि, इस न्यायालय ने इन रिट याचिकाओं को ग्रहण करते हुए इस आधार पर नोटिस जारी किए कि याचिकाकर्ताओं को प्रभारी अधिकारी/प्रगणक/पर्यवेक्षक के रूप में जनगणना वर्ष 2011 में नियुक्त किया गया था और उन्हें उन अधिकारियों के रूप में कर्तव्यों का पालन करने के लिए दायित्व सौंपा गया है, और इसलिए, जनगणना के कार्य की समाप्ति तक उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है, तथा उनके विभागों के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जनगणना कार्य के लंबन के दौरान स्थानांतरण किया जाना जनगणना नियम,1990 का उल्लंघन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को सौंपे गए कार्य की प्रकृति को देखते हुए, राज्य सरकार ने दिनांक 5 जून, 2010 को एक परिपत्र भी जारी किया है और सभी विभागों को निर्देशित किया है कि जनगणना कार्य में लगे सरकारी कर्मचारियों को प्रधान/जिला जनगणना अधिकारी की सहमति के बिना उनके वर्तमान पदस्थापन स्थल से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। उनका यह निवेदन है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा इस परिपत्र की अनदेखी और उल्लंघन किया गया है और से आक्षेपित स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं।

(4) राज्य ने वर्तमान रिट याचिका में अपना जवाब दाखिल कर दिया है और यह निवेदन किया गया है कि इसे रिट याचिकाओं के समूह में सूचीबद्ध अन्य

याचिकाओं में दिए गए जवाब के रूप में स्वीकार किया जाए । राज्य ने तथ्यात्मक पहलुओं को स्वीकार किया है और यह तर्क प्रस्तुत किया कि वह प्रधान/जिला जनगणना अधिकारी की सहमति के बिना अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रगणकों, पर्यवेक्षकों और प्रभारी अधिकारियों का स्थानांतरण दिनांक 31.3.2011 तक नहीं करेगा।

(5) राज्य द्वारा दाखिल किए गए उपरोक्त जवाब को दृष्टिगत, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित स्थानांतरण आदेशों को अभिखण्डित करने की प्रार्थना की है, क्योंकि उनके अनुसार, याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में दिए गए अंतरिम आदेशों के कारण अपने वर्तमान पदस्थापन स्थलों पर बने हुए हैं। उनका निवेदन यह था कि यदि आक्षेपित आदेशों को अभिखण्डित नहीं किया जाता है, तो राज्य याचिकाकर्ताओं को दिनांक 31.3.2011 के बाद उनके स्थानांतरित स्थानों पर जाने पर ज़ोर दे सकता है, जो कि नहीं किया जा सकता क्योंकि एक बार जब कोई आदेश विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण हो जाता है, तो राज्य उस आदेश को लागू करने पर ज़ोर नहीं दे सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और रिट याचिकाओं के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(7) इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को जनगणना 2011 में प्रभारी अधिकारियों/जनगणनाकारों/पर्यवेक्षकों आदि के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्तियां जनगणना अधिनियम, 1948 1948 के 37) की धारा 4 की उप-धारा (4) के तहत वैधानिक नियुक्तियां हैं और जनगणना नियम, 1990 के प्रावधानों के अधीन हैं। उक्त नियम 1990 का नियम 8 राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जनगणना के कार्य संचालन के प्रयोजनों के लिए अधिसूचनाएं, आदेश और निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। नियम 8 का उप-नियम (vi) यह उपबंधित करता है कि राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, पर्यवेक्षक/जनगणनाकार के रूप में एक बार नियुक्त

किए गए अधिकारियों/पदाधिकारियों के स्थानांतरण पर प्रधान/जिला जनगणना अधिकारी की समुचित सहमति के बिना, विभाग प्रमुख/अधिकारी पर प्रतिबंध लगाएगा/लगाएगी। नियम 8 (vi) के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ राज्य ने दिनांक 5 जून, 2010 का एक परिपत्र (संलग्नक आर/5&6/3) जारी किया है, जो इस प्रकार पठित होता है:

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

:: मंत्रालय ::

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ/1-2/2010/1-6 रायपुर, दिनांक 5 जून, 2010

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जनगणना

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

समस्त संभागायुक्त,

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त जिलाध्यक्ष

छत्तीसगढ़

विषय: - जनगणना – 2011 में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं करने बाबत्।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है जनगणना नियम 1990 के नियम 8 (vi) के अनुसार जनगणना–2011 के लिए जनगणना कार्य से संबद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों,

प्रगणक, सुपरवाईजर, चार्ज आफिसर का स्थानान्तरण प्रिंसिपल/डिस्ट्रिक्ट सेन्सस आफिसर की सहमति के बिना दिनांक 31.3.2011 तक नहीं किया जाय।

2/ कृपया उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 1-2/2010/1-6 **रायपुर, दिनांक 5जून, 2010**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ अग्रेषित ।

1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।

2 सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग की ओर उनकी टीप क्रमांक 112 दिनांक 01.6.2010 के संदर्भ में प्रेषित ।

3 मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर ।

4 विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त मान. मंत्रीगण छत्तीसगढ़, रायपुर ।

5 संचालक, जनसंपर्क, रायपुर ।

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग"

(8) अतः यह स्पष्ट है कि उपरोक्त क्षमता में जनगणना कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को जनगणना के कार्य की अवधि के दौरान उनके स्थानांतरण के मामले में सांविधिक नियमों द्वारा उचित संरक्षण दिया गया है, और यदि उनके विभागाध्यक्ष या संबंधित प्राधिकरण या सरकार द्वारा, नियम 8 (vi) में उल्लिखित प्राधिकारियों की सहमति के बिना, स्थानांतरण का कोई आदेश पारित किया जाता है, तो वह उपर्युक्त सांविधिक नियम का उल्लंघन करने वाला कार्य होगा और उसे विधि में मान्य नहीं ठहराया जाएगा। वर्तमान मामलों में, राज्य द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है कि नियम 1990 के नियम 8 (vi) के तहत संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कोई सहमति या स्वीकृति प्राप्त की गई थी और इस प्रकार आक्षेपित आदेश उपरोक्त सांविधिक नियमों के विरुद्ध पारित किए गए हैं।

(9) जनगणना आधारभूत स्तर पर सूचना प्रदान करती है। जनगणना द्वारा प्रदत्त जानकारी संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, पंचायत और अन्य स्थानीय निकायों में सीटों की संख्या निर्धारित करने में सहायक होती है। यह ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने में भी उपयोगी है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी (जनसंख्या विशेषताओं), आर्थिक गतिविधि, साक्षरता और शिक्षा, आवास और घरेलू सुविधाओं, शहरीकरण, प्रजनन और मृत्युदर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, भाषा, धर्म, प्रवासन, दिव्यांगता और कई अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय आंकड़ों का 1872 से ही सबसे विश्वसनीय स्रोत रही है। जनगणना ग्राम, कस्बा और वार्ड स्तर पर प्राथमिक आंकड़ों का एकमात्र स्रोत है। यह केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए नीतियों के निर्माण और नियोजन के लिए मूल्यवान जानकारी प्रदान करती है और इसका व्यापक रूप से उपयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, विद्वानों, व्यवसायी व्यक्तियों, उद्योगपतियों और कई अन्य लोगों द्वारा किया जाता है। जनगणना पिछले दशक में देश की प्रगति की समीक्षा का भी आधार है। जारी गतिविधियों की निगरानी करने और भविष्य के नियोजन की तैयारी के लिए। इन्हीं सभी कारणों से, नियमों द्वारा प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं ताकि जनगणना के कार्य को अंजान देने वाले व्यक्ति को इसे पूरा करने से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पहले परेशान न किया जाए, अन्यथा कार्य अधूरा रह जाएगा या यदि पदधारी द्वारा आगे कार्य किया जाता है, तो पदधारी को पूर्व नियुक्त व्यक्ति द्वारा किए गए वास्तविक कार्य की जानकारी नहीं होगी और जब तक उसे आवधिक कार्य का प्रतिपुष्टि प्राप्त होता है, तब तक उस कार्य का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा।

(10) वर्तमान मामलों में, विभागीय प्राधिकारियों ने नियम 1990 के नियम 8 (vi) के प्रावधानों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है और साथ ही उक्त नियम के प्रवर्तन के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए दिनांक 5 जून, 2010 के परिपत्र की सामग्री को भी अनदेखा किया है। अतः, आक्षेपित आदेश कायम नहीं रखे जा सकते हैं और उन्हें निरस्त किया जाना आवश्यक है।

(11) उपरोक्त कारणों से, याचिका स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता से संबंधित आक्षेपित आदेश को अभिखण्डित किया जाता है।

(12) व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: PURUSHOTTAM DWIVEDI

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur